रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 402] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1975/आश्विन 8, 1897
No. 402] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1975/ASVINA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1975

का० आ० 558(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 2 जुलाई, 1973 के पृष्ठ 1133 से 140 तक प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का० आ० 369 (अ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिये जायें :—

1. पृष्ठ 1133 पर नीचे से छठी पंक्ति में "शब्द" के स्थान पर "शब्दों" पढ़ा जाय।
2. पृष्ठ 1133 पर अंतिम पंक्ति में 'में आय, "शब्द, अंक' के स्थान पर 'में आय," शब्द, अंक' पढ़ा जाय।
3. पृष्ठ 1134 पर ऊपर से चौथी पंक्ति में "अंक" के स्थान पर "अंकों" पढ़ा जाय।
4. पृष्ठ 1135 पर ऊपर से दूसरी पंक्ति में "13 में" के स्थान पर "13 क में" पढ़ा जाय।

5. इसी पृष्ठ पर ऊपर से दसवीं पंक्ति में "(i)" के स्थान पर "(ें)" पढ़ा जाये तथा "सन्दाय" के स्थान पर "संदाय" पढ़ा जाय ।

6. इसी पृष्ठ पर ऊपर से ग्यारहवीं पंक्ति में "(i)" के स्थान पर "(ें)" पढ़ा जाय ।

7. इसी पृष्ठ पर ऊपर से तेरहवीं पंक्ति में "प्ररूप स्थापित" के स्थान पर "प्ररूप अंतः स्थापित" पढ़ा जाय ।

8. इसी पृष्ठ पर ऊपर से चौदहवीं पंक्ति में "13 ध" के स्थान पर "13 घ" पढ़ा जाय ।

9. पृष्ठ 1135 पर नीचे से बारहवीं पंक्ति में "है" के स्थान पर "हैं" पढ़ा जाय ।

10. इसी पृष्ठ पर नीचे से आठवीं पंक्ति मे "प्रत्याशी" के स्थान पर "प्रत्याशा" पढ़ा जाय ।

11. पृष्ठ 1136 पर नीचे से नौवीं पंक्ति में "स्त्रोत" के स्थान पर "मोत" पढ़ा जाय ।

12. इसी पृष्ठ पर अन्तिम पंक्ति में "लूागू" के स्थान पर "लागू" पढ़ा जाय ।

13. पृष्ठ 1137 पर नीचे से नवीं पंक्ति में "विवररण" के स्थान पर "विवरण" पढ़ा जाय ।

14. इसी पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति में "स्त्रोत्र" के स्थान पर "स्रोत" पढ़ा जाय ।

15. पृष्ठ 1138 पर ऊपर से सातवीं पंक्ति में "(1)" के स्थान पर "(i)" पढ़ा जाय ।

16. इसी पृष्ठ पर ऊपर से नौवीं पंक्ति में "है" के स्थान पर "हैं" पढ़ा जाय ।

17. पृष्ठ 1139 पर ऊपर से ग्यारहवीं पंक्ति में "विर्दिष्ट" के स्थान पर "विनिर्दिष्ट" पढ़ा जाय ।

18. इसी पृष्ठ पर नीचे से बारहवीं पंक्ति में "म द" के स्थान पर "मद" पढ़ा जाय तथा "संख्याकित के स्थान पर "संख्यांकित" पढ़ा जाय ।

19. इसी पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति में "कुटुबों" के स्थान पर "कुटुम्बों" पढ़ा जाय ।

[सं० 1106/फा० सं० 142 (16)/73-टी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,
सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975